

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)**

क्रमांक/स्था/राज/26/4306

जबलपुर दिनांक 08/05/2026

**विज्ञापन**

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक 246/स्था/राज/संचि/2021, भोपाल दिनांक 05/03/2021 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-42/07/1/ पचपन, भोपाल, दिनांक 17/12/2021 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-42/2007/पचपन, पार्ट भोपाल, दिनांक 12/01/2024 के द्वारा निर्धारित नवीन मापदण्डों के अनुरूप निम्नलिखित पदों को स्वशासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर एवं कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा एन.एम.सी नॉर्स 2023 के अनुसार नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल के सीनियर रेसीडेंट के कुल 32 पदों की स्वीकृति अनुसार निम्नलिखित पदों को स्वशासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर सीमित समयावधि 01 वर्ष की अवधि हेतु पदपूर्ति किये जाने हेतु दिनांक 15/05/2026 को प्रातः 11:00 बजे से वॉक-इन-इन्टरव्यू अधिष्ठाता कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया जावेगा, उक्त हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सीनियर रेसीडेंट की रिक्तियां निम्नानुसार हैं :-

SENIOR RESIDENT								
S.No.	SUBJECT	UR	OBC	ST	SC	EWS	Total Vacant	Remarks
1.	ANATOMY	01	01	01	-	-	03	
2.	PHYSIOLOGY	02	01	01	-	-	04	
3.	BIOCHEMISTRY	-	01	-	-	-	01	
4.	PHARMACOLOGY	-	01	01	-	-	02	
5.	FORENSIC MEDICINE	02	01	01	-	-	04	
6.	GENERAL MEDICINE	02	02	01	-	-	05	
7.	EMERGENCY MEDICINE	01	-	01	-	-	02	
8.	PSYCHIATRY	-	-	-	01	-	01	
9.	PEDIATRICS	01	-	01	-	-	02	
10.	PEDIATRICS SURGERY	-	-	-	01	-	01	
11.	OBST. & GYNAE.	01	01	01	-	01	04	
12.	ORTHOPAEDICS	-	-	01	01	-	02	
13.	SKIN V.D.	01	-	-	-	-	01	
14.	RADIO DIAGNOSIS	-	01	-	01	01	03	
15.	PLASTIC SURGERY	01	-	01	-	-	02	
16.	BONE MARROW TRANSPLANT UNIT	01	-	01	-	-	02	
17.	PEDIATRICS HEMATO ONCOLOGY	01	01	-	-	-	02	
18.	RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY	-	-	01	-	01	02	
19.	SURGICAL ONCOLOGY	-	01	-	-	-	01	
	कुल योग :	14	11	12	04	03	44	

नोट:- साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों / प्रमाणपत्रों की मूलप्रति / रिटेन सर्टिफिकेट के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
5. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक-इन-इन्टरव्यू जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।
6. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवश्यकतानुसार कार्यावधि (अधिकतम) 03 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

**शर्त:-**

1. **अवधि:** - सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात सेवार्य संतोषजनक पाये जाने पर 01 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी ।
2. **नियुक्ति का तरीका:-** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
3. **आवेदन शुल्क:-** सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु 700/- (सात सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रुपये- 500/- (पांच सौ) की रशि ऑनलाईन / यू.पी.आई के माध्यम से जमा करते हुए उसकी रसीद मूलतः आवेदन के साथ संलग्न करें। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

**Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur,  
Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No.  
10080132574. IFSC Code:- SBIN0001445**

4. आवेदन वॉक इन इन्टरव्यू के पूर्व कार्यालय अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।

नियम एवं निर्देश :- म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 2-42/07/1/ पचपन, भोपाल, दिनांक 17.12.2021, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-42/2007/1/पचपन, पार्ट भोपाल दिनांक 12/01/2024 एवं शासन द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता नवीनतम परिपत्रानुसार होगी।

**सीनियर रेसीडेन्टस**

**पात्रता :**

- (i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम. डी. / एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम. डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- (ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (iii) एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

**अपात्रता :**

- (i) एम.डी./एम. एस./एम. डी. एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- (iii) पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- (iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- (v) विन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र / छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

**चयन विधि :**

- (i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा ।
- (ii) चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जायेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय / अन्य प्रदेश के शासकीय /निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

- (iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी. / एम.एस./ डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।
- (iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी. डिप्लोमा होगा।
- (v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा। (vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

**टेन्यूर ( Tenure) :**

- (i) टेन्यूर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- (ii) 01 वर्ष की टेन्यूर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
- (iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- (iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

**आरक्षण :**

- (i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स / चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेन्सी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- (iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

**अवकाश :**

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

**प्रदर्शकों/ ट्यूटर्स / चिकित्सा का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :**

- (i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- (ii) एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।
- (iii) जिस प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./ एम. डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेन्सी की पात्रता रहेगी।

**चयन विधि :**

- (i) ऐसे प्रदर्शकों/ ट्यूटर्स/ चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./ एम. डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (ii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ ट्यूटर्स / चिकित्सा अधिकारियों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से एम.डी./एम.एस./ एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

**सीट का आरक्षण :**

- (i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- (ii) निर्धारित आरक्षित / अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ ट्यूटर्स / चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।
- (iii) मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

**वेतन भत्ते :**

- (i) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

**टीप :**

- (i) जिन प्रदर्शकों/ ट्यूटर्स / चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

**यात्रा भत्ता**

- :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जायेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

**अन्य शर्तें :-**

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
4. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियुक्ता का अनापति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (स्वशासी समिति)

मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर, दिनांक /05/2026

पृ.क्रमांक/स्था/राज/26/

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर।
2. स्थानीय कार्यालय स्टेनो की ओर।
3. चिकित्सा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (स्वशासी समिति)

मेडिकल कालेज जबलपुर



CHECK LIST

Name of Candidate .....Category.....

Subject/Post & Category applied for .....

Options & Drafts.....Total No. of Drafts.....

**Documents**

**Remarks**

1. High School/Higher Secondary, Date of Birth .....
2. M.B.B.S./B.D.S./M.D.S. Marks Sheet Aggregate Percentage (%) .....
3. Internship Complete Certificate .....
4. M.B.B.S./ B.D.S./M.D.S. Degree.....
5. M.D./M.S./M.C.H./DNB Degree/Diploma/M.D.S.....
6. UG/PG Attempts 1<sup>st</sup>/IInd/IIIrd.....
7. Higher qualification DM/MCH.....
8. Post P.G. Teaching Experience .....
9. Publications in indexed journals Nos.....
10. Caste Certificate .....
11. Domicile Certificate (M.P.) .....
12. M.B.B.S./B.D.S. Registration No. (State) ..... State Council
13. MD/MS/PG/Dip./M.D.S. Registration (State) ..... State Council
14. Employer's NOC .....
15. UG & PG Attempt Certificates.
15. Course completion certificate / Completion date mentioned certificate issued by concerned Hod's.
16. All relevant Original Documents/ Document Retained Certificate issued by Concerned Medical College's Dean.
17. Original document Retain Certificate if document is submitted to concerned college or university.

Note- It is mandatory to Produce all the above required documents original copy at the time of interview.

Declaration – I hereby declare that I am working/Not working in any Govt./Semi Govt. Institution at present.

(Name & Signature of Scrutiny Officer)

Name & Signature of Candidate